संख्या-839/2017/2000/22-2-2017-17(285)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 अक्टूबर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गणेश यादव पुत्र श्री रामप्रीत यादव निवासी जनपद-गोरखपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25389/पो0अनु0-(2)-182/सलाहकार समिति/(एम 22.06.2017, दिनांक 14.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गणेश यादव पुत्र श्री रामप्रीत यादव निवासी जनपद-गोरखपुर जो ग्राम-जंगल अगही टोला-भरवल, थाना-पीपीगंज, जनपद-गोरखपुर का रहने वाला है। काफी समय से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19/20-08-1995 की रात्रि लगभग 11:30 बजे बम व गड़ासा से मारकर 03 बच्चों की हत्या कर दी एवं 02 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-465/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 10.12.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.03.2009 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.01.2017 तक 21 वर्ष 00 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 08 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम व गड़ासा से मारकर 03 बच्चों की हत्या करनें एवं 03 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के वारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा किये गये विरोध एवं मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गणेश यादव पुत्र श्री रामप्रीत यादव को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी गणेश यादव (बन्दी संख्या-39805) पुत्र श्री रामप्रीत यादव निवासी जनपद-गोरखपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-839/2017/2000/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।